



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162285

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7761/2026

गुड्डू सिंह उर्फ बिचौटा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुरेश धर द्विवेदी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 261 वर्ष 2026, धारा 109(1), 352, 121(1), 132, 324(2), 351(2), 309(4) बी.एन.एस., थाना-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी पुलिस के उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराई गई है, जो दावा करते हैं कि एक अनीता देवी द्वारा सह-अभियुक्त नकुल तथा आवेदक, जो सगे भाई हैं, के विरुद्ध दिए गए आवेदन पर जांच किए जाने के दौरान, आवेदक द्वारा पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की गई तथा देशी तमंचे से पुलिस पर गोली भी चलाई गई। तथापि, पुलिसकर्मियों को ऐसी कोई चोट नहीं आई है, जिसे अग्नेयास्त्र से कारित कहा जा सके। चिकित्सीय परीक्षण में केवल कुछ खरोंचें पाई गई हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, वह आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास बताने में असमर्थ रहे हैं और तर्क देते हैं कि आवेदक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने न केवल पुलिस पर गोली चलाई, बल्कि पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस अधिकारी के शरीर पर पाई गई खरोंचें अभियोजन के कथन की सत्यता की पुष्टि करती हैं। आवेदक तथा उसके भाई ने न्याय प्रशासन में बाधा डालने का प्रयास किया था। उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6- घटना दिनांक 26.05.2026 की बताई गई है। प्राथमिकी दिनांक 28.05.2026 को दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने में हुए विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यद्यपि आवेदक को घायल पर गोली चलाने की भूमिका सौंपी गई है, तथापि पुलिसकर्मियों को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। घायल को आई कोई भी चोट प्रकृति में गंभीर के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती।

7- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **गुड्डू सिंह उर्फ बिचौटा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

3 अगस्त, 2026

प्रियंका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।